



नं.क्यु -14018/50(आर एफ डी-रीवी)/2014-डीडब्लूएस(स्टैट)

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

9 वांतल पर्यावरण भवन
सीजीओ कॉम्प्लैक्स लोदी रोड
नई दिल्ली ११०००३
दिनांक 18 सितम्बर, २०१४

विषय: राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों के ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के प्रमुख सचिवों/सचिवों के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें और अनुभव आदान प्रदान से सम्बंधित कार्यशाला के माह अक्टूबर -नवम्बर २०१४ में आयोजन के सन्दर्भ में.

प्रिय महोदय / महोदया,

संलग्न कार्यक्रमानुसार ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें और अनुभव आदान-प्रदान से जुड़ी कार्यशालाएँ करने का प्रस्ताव है। इन बैठकों हेतु एजेंडा इस प्रकार है:-

क. वास्तविक और वित्तीय प्रगति

- i. कार्यक्रम
- ii. सहायता
- iii. जल गुणवत्ता हेतु चिन्हित निधियाँ
- iv. प्रचालन और रखरखाव
- v. निरंतरता

ख. 2014-15 के दौरान जल गुणवत्ता बसावटों/आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों के लिए एमडीआई निधियों का उपयोग।

ग. अपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करना (तीन से अधिक वर्षों से लंबित)

घ. आईईसी और एचआरडी गतिविधियाँ।

ड. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ी गतिविधियाँ

च. आईएमआईएस डाटा एंट्री और संबंधित मुद्दे।

छ. एचजीएम मानचित्रों का उपयोग और एनआरएससी को जलगुणवत्ता डाटा का प्रस्तुतीकरण।

ज. प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयाँ।

झ. 100 दिनों के एजेन्डा लक्ष्यों के संदर्भ में प्रगति/उपलब्धि।

2. बैठक की अध्यक्षता पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव/संयुक्त सचिव (जल एवं प्रशासन) द्वारा की जाएगी।

3. अतः यह अपेक्षा की जाती है कि ईएनसी/सीई और सीसीडीयू निदेशक के साथ ही ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के प्रभारी राज्य सचिव व्यक्तिगत तौर पर इन समीक्षा बैठकों में शामिल हों।

4. पंजाब, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, असम, राजस्थान और झारखण्ड के प्रभारी राज्य सचिवों से अनुरोध किया जाता है कि वे प्रतिभागी राज्यों के सचिवों और ईएनसी/सीई के भोजन और आवास हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करें। इन बैठकों का आयोजन उपयुक्त स्थान पर हो। इन पर होने वाला व्यय राज्यों में एनआरडीडब्ल्यूपी की सहायता निधि से पूरा किया जा सकता है।

5. कृपया प्रतिभागी करने वाले राज्यों का स्थान निश्चित करें और इस मंत्रालय को सूचित करें।

सादर,

संलग्नक : यथोक्त

सेवा में,

भवदीय
सखि
(संध्या सिंह)

संयुक्त निदेशक (एम एंड ई/ स्टैट)

सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह एवं पुदुचेरी के ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव एवं चीफ इंजिनीअर/ इंजिनीअर को संलग्न अनुसूची के अनुसार

प्रति सूचनार्थ :

1. सचिव, डीडब्लूएस के निजी सचिव/ ओएसडी (डीडब्लूएस)।
2. संयुक्त सचिव (जल) के निजी सचिव ।
3. मंत्रालय के वैबसाइट पर डालने के लिए तकनीकी निदेशक, एनआईसी।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) हेतु क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के लिए कार्यक्रम पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय				
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र	समीक्षा बैठक की दिनांक	समीक्षा बैठक का स्थान
1.	हरियाणा	क्षेत्र-1 उत्तरी क्षेत्र	13.10.2014	चण्डीगढ़
2.	हिमाचल प्रदेश			
3.	जम्मू एवं कश्मीर			
4.	पंजाब			
5.	उत्तराखण्ड			
6.	उत्तरप्रदेश			
7.	आंध्रप्रदेश	क्षेत्र-2 दक्षिणी क्षेत्र	20.10.2014	वाईजैग, आंध्रप्रदेश
8.	कर्नाटक			
9.	केरल			
10.	तमिलनाडु			
11.	पुदुचेरी			
12.	अंडमान एवं निकोबार			
13.	अरुणाचल प्रदेश	क्षेत्र-3 पूर्वोत्तर क्षेत्र	28.10.2014	गोवाहाटी, असम
14.	मणिपुर			
15.	मेघालय			
16.	मिजोरम			
17.	नागालैण्ड			
18.	त्रिपुरा			
19.	सिक्किम			
20.	असम			
21.	मध्य प्रदेश	क्षेत्र-4 पश्चिमी क्षेत्र	3.11.2014	जयपुर, राजस्थान
22.	गुजरात			
23.	महाराष्ट्र			
24.	राजस्थान			
25.	गोवा			
26.	बिहार	क्षेत्र-5 पूर्वी क्षेत्र	10.11.2014	रांची, झारखण्ड
27.	झारखण्ड			
28.	ओडीसा			
29.	पश्चिम बंगाल			
30.	छत्तीसगढ़			